

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई


{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 202/2023


निर्णय दिनांक :- 16.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 6 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/13 में रहन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अरायण के स्थान पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 16.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
राजस्थान सरकार (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री कटपपुर


मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00


{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
राजस्थान सरकार (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री कटपपुर

क्रमांक: रीडर/ 2023/339

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।


{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
राजस्थान सरकार (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री कटपपुर

